संख्या-41/2026/803जे0/22-5-2026-300(88)/2017-ई-1864410

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2026**

विषय- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संजय पुत्र श्री खेमचंद का जी0बी0पन्त चिकित्सालय, दिल्ली में कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि रू० 46,830/- (रूपये छियालीस हजार आठ सौ तीस मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25262/सामा-1(3)/40/मेर0परि0/ब0चि0धना0-संजय/26, दिनांक 01-07-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संजय पुत्र श्री खेमचंद का जी0बी0पन्त चिकित्सालय, दिल्ली में कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि रू० 46,830/- (रूपये छियालीस हजार आठ सौ तीस मात्र) की एतदद्वारा कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रवि शंकर मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या:41/2026/803जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in